DIGITAL MEDIA ETHICS CODE

The Bombay High Court has ordered an interim stay on the provisions of Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, including the Code of Ethics that have to be followed by digital news media and online publishers. SCaT reproduces the digital media ethics code proposed by the Govt.

APPLICATION OF THIS PART

(1) The rules made shall apply to the following persons or entities:

(a) publishers of news and current affairs content;

(b) publishers of online curated content; and

shall be administered by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, which shall be referred as the "Ministry"

Provided that the rules made shall apply to intermediaries for the purposes of rules 15 and 16;

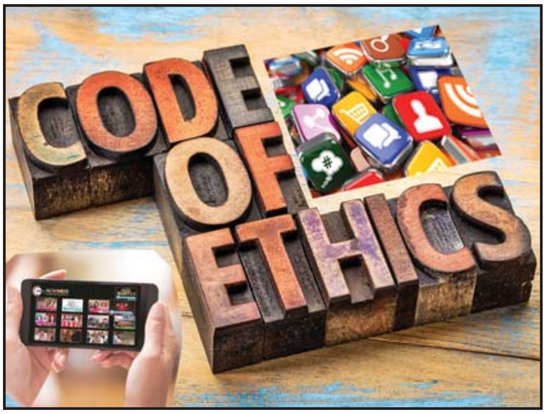

(2) The rules made shall apply to the publishers, where,—

(a) such publisher operates in the territory of India; or

(b) such publisher conducts systematic business activity of making its content available in India.

Explanation:

(a) a publisher shall be deemed to operate in the territory of India where such publisher has a physical presence in the territory of India;

(b) "systematic activity" shall mean any structured or organised activity that involves an element of planning, method, continuity or persistence.

(3) The rules made under this Part shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force and any remedies

डिजिटल मीडिया आचार संहिता

*बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम **2021** के प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसमें आचार संहिता भी शामिल है जिसका डिजिटल समाचार मीडिया और ऑन लाइन प्रकाशकों द्वारा पालन किया जाना है। स्कैट सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल मीडिया आचार संहिता को फिर से प्रस्तुत कर रहा है।*

इस भाग का लागू होना –

(1) इस भाग के अधीन बनाये गये नियम निम्नलिखित व्यक्तियों या अस्तित्वों को लागू होंगे, अर्थातः–

(क) समाचार और समसामयिक मामलों की अंतर्वस्तु के प्रकाशक

(ख) ऑनलाइन चयनित अंतर्वस्तु के प्रकाशक, और

इसका प्रशासन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा, जिसे इस भाग में 'मंत्रालय' के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगाः

परंतु इस भाग अधीन बनाये गये नियम, नियम **15** और नियम **16** के प्रयोजनों के लिए मध्यवर्तियों को लागू होंगे।

(**2**) इस भाग के अधीन बनाये गये नियम प्रकाशकों को लागू होंगे, जहां–

(क) ऐसा प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन करता है, या

(ख) ऐसा प्रकाशक भारत में इसकी अंतर्वस्तु उपलब्ध करवाने का व्यवस्थित कारबार क्रियाकलाप संचालित करता है।

स्पष्टीकरण –

(क) कोई प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन करने वाला समझा जायेगा, जहां ऐसा प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति रखता है,

(ख) 'व्यवस्थित क्रियाकलाप' से कोई संरचनात्मक या संगठित क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसमें योजना, पद्धति, निरंतरता या अध्यवसाय अंतर्वलित है।

(**3**) इस भाग के अधीन बनाये गये नियम तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे ना कि उनके अल्पीकरण में

available under such laws including the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by the Public) Rules, 2009.

OBSERVANCE AND ADHERENCE TO THE CODE

(1) A publisher referred to in rule shall observe and adhere to the Code of Ethics laid down in the Appendix annexed to these rules.

(2) Notwithstanding anything contained in these rules, a publisher referred to in rule 8 who contravenes any law for the time being in force, shall also be liable for consequential action as provided in such law which has so been contravened.

(3) For ensuring observance and adherence to the Code of Ethics by publishers operating in the territory of India, and for addressing the grievances made in relation to publishers under this Part, there shall be a three-tier structure as under—

(a) Level I - Self-regulation by the publishers;

(b) Level II – Self-regulation by the self-regulating bodies of the publishers;

(c) Level III - Oversight mechanism by the Central Government.

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

FURNISHING AND PROCESSING OF GRIEVANCE

(1) Any person having a grievance regarding content published by a publisher in relation to the Code of Ethics may furnish his grievance on the grievance mechanism established by the publisher under rule 11.

और ऐसी विधियों के अधीन उपलब्ध कोई उपचार, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरूद्ध करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम 2009 भी हैं।

संहिता का पालन और अनुसरण–

(1) नियम 8 में निर्दिष्ट कोई प्रकाशक इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट में अधिकथित आचार संहिता का पालन और अनुसरण करेगा।

(2) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 8 में निर्दिष्ट कोई प्रकाशक जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन करता है, वह ऐसी विधि में यथा उपबंधित पारिणामिक कार्रवाई के लिए भी दायी होगा, जिसका इस प्रकार उल्लंघन किया गया है।

(3) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन कर रहे प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का पालन और अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए तथा इस भाग के अधीन प्रकाशकों के संबंध में की गयी शिकायतों के समाधान के लिए, निम्नानुसार त्रिस्तरीय संरचना होगी–

(क) स्तर 1 – प्रकाशकों द्वारा स्वतः विनियमन

(ख) स्तर 2 – प्रकाशकों के स्वतः विनियामक निकायों द्वारा स्वतः विनियमन

(ग) स्तर 3 – केन्द्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि।

शिकायत समाधान क्रियाविधि

शिकायत प्रस्तुत और प्रक्रियागत करना –

(1) आचार संहिता के संबंध में प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अंतर्वस्तु के बारे में शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति नियम 11 के अधीन प्रकाशक और स्थापित शिकायत क्रियाविधि पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

- In-depth & Unbiased Market Information
- Technology Breakthroughs
- Reaches More Than 40,000 Personnel Across The Satellite & Cable TV Industry every month

SATELLITE & Cable TV

... You Know What You Are Doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact:
Mob.: +91-7021850198
Email: scat.sales@nm-india.com

(2) The publisher shall generate and issue an acknowledgement of the grievance for the benefit of the complainant within twenty-four hours of it being furnished for information and record.

(3) The manner of grievance redressal shall have the following arrangement–

(a) the publisher shall address the grievance and inform the complainant of its decision within fifteen days of the registration of the grievance;

(b) if the decision of the publisher is not communicated to the complainant within the stipulated fifteen days, the grievance shall be escalated to the level of the self–regulating body of which such publisher is a member.

(c) where the complainant is not satisfied with the decision of the publisher, it may prefer to appeal to the self-regulating body of which such publisher is a member within fifteen days of receiving such a decision.

(d) the self-regulating body shall address the grievance referred to in clauses (b) and (c), and convey its decision in the form of a guidance or advisory to the publisher, and inform the complainant of such decision within a period of fifteen days..

(e) where the complainant is not satisfied with the decision of the self-regulating body, it may, within fifteen days of such decision, prefer an appeal to the Oversight Mechanism referred to in rule 13 for resolution.

SELF REGULATING MECHANISM - LEVEL I

(1) The publisher shall be the Level I of the selfregulating mechanism.

(2) A publisher shall—

(a) establish a grievance redressal mechanism and shall appoint a Grievance Officer based in India, who shall be responsible for the redressal of grievances received by him;

(b) display the contact details related to its grievance redressal mechanism and the name and contact details of its Grievance Officer at an appropriate place on its website or interface, as the case may be;

(2) प्रकाशक, शिकायत के सूचना और अभिलेख के प्रस्तुत किये जाने के चौबीस घंटों के भीतर शिकायतकर्ता के फायदे के लिए शिकायत की अभिस्वीकृति सृजित और जारी करेगा।

(3) शिकायत के समाधान की रीति के लिए निम्नलिखित व्यवस्था होगी–

(क) प्रकाशक शिकायत का समाधान करेगा और शिकायत के रजिस्ट्रीकरण के पंद्रह दिन के भीतर अपने विनिश्चय के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

(ख) यदि प्रकाशक का विनिश्चय नियत पंद्रह दिन के भीतर शिकायतकर्ता को संसूचित नहीं किया जाता है तो शिकायत को स्वतः विनियामक निकाय के उच्च्व स्तर पर भेज दिया जायेगा जिसका प्रकाशक एक सदस्य है।

(ग) जहां शिकायतकर्ता प्रकाशक के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो वह स्वतः विनियामक निकाय को ऐसा विनिश्चय प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर अपील कर सकेगा जिसका ऐसा प्रकाशक सदस्य है।

(घ) स्वतः विनियामक निकाय खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट शिकायत का समाधान करेगा और प्रकाशक को अपना विनिश्चय मार्गदर्शन या सलाह के रूप में भेजेगा और पंद्रह दिन के अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को ऐसे विनिश्चय की सूचना देगा।

(ङ) जहां शिकायतकर्ता स्वतः विनियामक निकाय के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, तो वह ऐसे विनिश्चय के पंद्रह दिन के भीतर समाधान के लिए नियम 13 में निर्दिष्ट निरीक्षण क्रियाविधि को अपील कर सकेगा।

स्वतः विनियामक क्रियाविधि – स्तर 1

(1) प्रकाशक स्वतः विनियामक क्रियाविधि के स्तर 1 पर होगा।

(2) प्रकाशक –

(क) एक शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि स्थापित करेगा और भारत में अचस्थित एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगा जो उसके द्वारा प्राप्त शिकायतों के प्रतितोषण के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) इसकी शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि से संबंधित संपर्क ब्यौरे प्रदर्शित करेगा, शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क के ब्यौरे, यथास्थिति, इसके वेबसाइट के किसी समुचित स्थान पर या अंतरापृष्ठ पर प्रदर्शित करेगा।

(ग) ऐसी प्रत्येक शिकायत की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर

(c) ensure that the Grievance Officer takes a decision on every grievance received by it within fifteen days, and communicate the same to the complainant within the specified time;

(d) be a member of a self-regulating body as referred to in rule 12 and abide by its terms and conditions.

(3) The Grievance Officer shall,—

(a) be the contact point for receiving any grievance relating to Code of Ethics;

(b) act as the nodal point for interaction with the complainant, the self-regulating body and the Ministry.

(4) Online curated content shall be classified by the publisher of such content into the categories referred to in the Schedule, having regard to the context, theme, tone, impact and target audience of such content, with the relevant rating for such categories based on an assessment of the relevant content descriptors in the manner specified in the said Schedule.

(5) Every publisher of online curated content shall display the rating of any online curated content and an explanation of the relevant content descriptors, prominently to its users at an appropriate place, as the case may be, in a manner that ensures that such users are aware of this information before accessing such content.

SELF REGULATING MECHANISM – LEVEL II

SELF-REGULATING BODY

(1) There may be one or more self-regulatory bodies of publishers, being an independent body constituted by publishers or their associations.

(2) The self-regulatory body referred to in sub-rule (1) shall be headed by a retired judge of the Supreme Court, a High Court, or an independent eminent person from the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights or such other relevant field, and have other members, not exceeding

शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गये विनिश्चय को सुनिश्चित करेगा और विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे शिकायतकर्ता को संसूचित करेगा।

(घ) नियम 12 में यथा–निर्दिष्ट किसी स्वतः विनियामक निकाय का सदस्य होगा और इसके निबंधन और शर्तो का पालन करेगा।

(3) शिकायत अधिकारी–

(क) आचार संहिता से संबंधित किसी शिकायत को प्राप्त करने के लिए संपर्क केंद्र होगा

(ख) शिकायतकर्ता, स्वतः विनियामक निकाय और मंत्रालय के साथ अन्योन्यक्रिया के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

(4) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु अनुसूची में निर्दिष्ट प्रवर्गो में ऐसे अंतर्वस्तु के प्रकाशक द्वारा वर्गीकृत किया जायेगा, ऐसी अंतर्वस्तु के संदर्भ, विषय–वस्त, स्वर, प्रभाव और लक्ष्य दर्शक, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में सुसंगत अंतर्वस्तु विवरणकर्ता के किसी निर्धारण पर आधारित ऐसे प्रवर्गो के लिए सुसंगत दर से संबंधित होगा।

(5) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रत्येक प्रकाशक किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु की दर को प्रकाशित करेगा और यथास्थिति, ऐसी रीति में किसी समुचित स्थान पर इसके उपयोक्ताओं को सुसंगत अंतर्वस्तु विवरणकर्ता को प्रमुख रूप से स्पष्टीकरण देगा ताकि ऐसे उपयोक्ता को किसी अंतर्वस्तु पर पहुंचने से पहले इस सूचना की जानकारी हो।

स्वतः विनियामक क्रियाविधि – स्तर 2

स्वतः विनियामक निकाय–

(1) प्रकाशक या उसके सहयोजनों द्वारा गठित कोई स्वतंत्र निकाय, प्रकाशकों का एक या अधिक स्वयं विनिमयकारी निकाय हो सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वयं विनिमयकारी निकाय की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकारी, मानव अधिकारी से किसी स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जायेगी और इसके अन्य सदस्य मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव

six, being experts from the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights and such other relevant fields.

(3) The self-regulating body shall, after its constitution in accordance with sub-rule (2), register itself with the Ministry within a period of thirty days from the date of notification of these rules, and where a self-regulating body is constituted after such period, within thirty days from the date of its constitution:

Provided that before grant of registration to the self-regulating body, the Ministry shall satisfy itself that the self-regulating body has been constituted in accordance with sub-rule (2) and has agreed to perform the functions laid down in sub-rules (4) and (5).

(4) The self-regulating body shall perform the following functions, namely:—

(a) oversee and ensure the alignment and adherence by the publisher to the Code of Ethics;

(b) provide guidance to publishers on various aspects of the Code of Ethics;

(c) address grievances which have not been resolved by publishers within the specified period of fifteen days;

(d) hear appeals filed by the complainant against the decision of publishers;

(e) issue such guidance or advisories to such publishers as specified in sub-rule (5) for ensuring compliance to the Code of Ethics.

(5) The self-regulating body while disposing a grievance or an appeal referred to it in sub-rule (4) may issue following guidance or advisories to the publishers as under, namely:—

(a) warning, censuring, admonishing or reprimanding the publisher; or

(b) requiring an apology by the publisher; or

(c) requiring the publisher to include a warning card or a disclaimer; or

(d) in case of online curated content, direct the publisher to,—

(i) reclassify ratings of relevant content;

(ii) make appropriate modification in the content descriptor, age classification and access control measures;

(iii) edit synopsis of relevant content; or

अधिकार और ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्रों के छह से अनधिक विशेषज्ञ होंगे।

(3) स्वतः विनियामक निकाय उपनियम (2) के अनुसार अपने गठन के पश्चात्, मंत्रालय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर और जहां कोई स्वतः विनियामक निकाय, जो उसके गठन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसी अवधि के पश्चात् गठित की जाती है, रजिस्टर करेगाः

परंतु स्वतः विनियामक निकाय को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले मंत्रालय अपना यह समाधान करेगा कि स्वतः विनियामक निकाय का गठन उपनियम (2) के अनुसार किया गया है और वह उपनियम (4) और उपनियम (5) में अधोकथित कृत्यों का पालन करने के लिए सहमत है।

(4) स्वतः विनियामक निकाय निम्नलिखित कृत्यों को करेगा, अर्थात्ः

(क) आचार संहिता के प्रकाशक द्वारा संरेखण और अनुषक्ति का पर्यवेक्षण करना और उसे सुनिश्चित करना

(ख) आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशकों को मार्गदर्शन प्रदान करना

(ग) पंद्रह दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रकाशकों द्वारा समाधान न की गयी शिकायतों को इंगित करना

(घ) प्रकाशकों के विनिश्चय के विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गयी अपीलों को सुनना

(ङ) आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपनियम (5) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्रकाशकों को ऐसे दिशानिर्देश और परामर्शिका जारी करना।

(5) कोई स्वतः विनियामक निकाय जब किसी शिकायत का निपटारा या उपनियम (4) में निर्दिष्ट किसी अपील का निपटारा कर रही है तो प्रकाशकों को निम्नलिखित दिशानिर्देश या परामर्शिका जारी कर सकेगी, अर्थात् ः–

(क) प्रकाशक को चेतावनी देना, परिनिंदा करना, भर्त्सना करना या फटकार लगाना, या

(ख) प्रकाशक से क्षमा मांगने की अपेक्षा करना, या

(ग) चेतावनी कार्ड या किसी इंकार को सम्मिलित करते हुए प्रकाशक से अपेक्षा करना या

(घ) ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु की दशा में, प्रकाशक को निर्देश देना कि–

(i) सुसंगत अंतर्वस्तु की रेटिंग का पुनःवर्गीकरण करे,

(ii) विवरणकर्ता, उम्र का वर्गीकरण और नियंत्रण उपायों तक पहुंच की अंतर्वस्तु में समुचित उपांतरण कर,

(iii) सुसंगत अंतर्वस्तु के सारांश को बदले, या

(e) in case of any content where it is satisfied that there is a need for taking action to delete or modify the content for preventing incitement to the commission of a cognizable offence relating to public order, or in relation to the reasons enumerated in sub-section (1) of section 69A of the Act, refer such content to the Ministry for consideration by the Oversight Mechanism referred to in rule 13 for appropriate action.

(6) Where the self-regulating body is of the opinion that there is no violation of the Code of Ethics, it shall convey such decision to the complainant and such entity.

(7) Where a publisher fails to comply with the guidance or advisories of the self-regulating body within the time specified in such guidance or advisory, the self-regulating body shall refer the matter to the Oversight Mechanism referred to in rule 13 within fifteen days of expiry of the specified date.

OVERSIGHT MECHANISM - LEVEL III

OVERSIGHT MECHANISM

(1) The Ministry shall co-ordinate and facilitate the adherence to the Code of Ethics by publishers and self regulating bodies, develop an Oversight Mechanism, and perform the following functions, namely:—

(a) publish a charter for self regulating bodies, including Codes of Practices for such bodies;

(b) establish an Inter-Departmental Committee for hearing grievances;

(c) refer to the Inter-Departmental Committee grievances arising out of the decision of the selfregulating body under rule 12, or where no decision has been taken by the self-regulating body within the specified time period, or such other complaints or references relating to violation of Code of Ethics as it may consider necessary;

(d) issue appropriate guidance and advisories to publishers;

(e) issue orders and directions to the publishers for maintenance and adherence to the Code of Ethics.

(2) The Ministry shall appoint an officer of the Ministry not below the rank of a Joint Secretary to the

(ङ) किसी अंतर्वस्तु की दशा में, जहां वह संतुष्ट है कि समुचित कार्रवाई के लिए लोक व्यवस्था से संबंधित किये गये संज्ञेय अपराध के लिए उद्यापन के निवारण इसके लिए अंतर्वस्तु को बदलने या उपांतरित करने के लिए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है या अधिनियम की धारा 60क की उपधारा (1) में संगणित कारणों के संबंध में नियम 13 में निर्दिष्ट अन्वेक्षा क्रियाविधि द्वारा विचार के लिए मंत्रालय को निर्दिष्ट करना।

(6) जहां स्वतः विनियामक निकाय की यह राय है कि आचार संहिता का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है तो वह शिकायतकर्ता और ऐसी इकाई को ऐसे विनिश्चय के संबंध में संसूचित करेगी।

(7) जहां कोई प्रकाशक, ऐसे दिशानिर्देश या परामर्शिका में विनिर्दिष्ट समय के भीतर स्वतः विनियामक निकाय के दिशानिर्देशों और परामर्शिकाओं का पालन करने में असफल रहता है तो स्वतः विनियामक निकाय मामले को विनिर्दिष्ट तारीख की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर नियम 13 में निर्दिष्ट अन्वेक्षा क्रियाविधि को निर्दिष्ट करेगा।

अन्वेक्षा क्रियाविधि – स्तर 3

अन्वेक्षा क्रियाविधि–

(1) मंत्रालय, प्रकाशकों और स्वतः विनियामक निकायों द्वारा आचार संहिता की अनुषक्ति का समन्वय करेगा और उसे सुकर बनायेगा, अन्वेक्षा क्रियाविधि का विकास करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों को करेगा, अर्थात्ः

(क) ऐसे निकायों के लिए व्यवहार संहिता को सम्मिलित करते हुए, स्वतः विनियामक निकायों के लिए चार्टर का प्रकाशन करना,

(ख) शिकायतों को सुनने के लिए एक अंतर–विभागीय समिति की स्थापना करना

(ग) नियम 12 के अधीन स्वतः विनियामक निकाय के विनिश्चय से उद्भूत शिकायतों को या जहां विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर स्वतः विनियामक निकाय द्वारा कोई विनिश्चय नहीं लिया गया है या आचार संहिता के अतिक्रमण से संबंधित ऐसी अन्य शिकायतें या निर्देश को, जिसे आवश्यक समझा जाए, अंतर–विभागीय समिति को निर्दिष्ट करना,

(घ) प्रकाशकों को समुचित दिशानिर्देश और परामर्शिका जारी करना

(ङ) आचार संहिता के अनुरक्षण और अनुषक्ति के लिए प्रकाशकों को आदेश और निदेश जारी करना।

(2) मंत्रालय, यथास्थिति, नियम 15 या नियम 16 के अधीन निर्देशों को जारी करने के प्रयोजनों के लिए 'प्राधिकृत अधिकारी' के

Government of India, as the "Authorised Officer", for the purposes of issuing directions under rules 15 or 16, as the case may be.

INTER-DEPARTMENTAL COMMITTEE

(1) The Ministry shall constitute an Inter-Departmental Committee, called the Committee, consisting of representatives from the Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Law and Justice, Ministry of Home Affairs, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of External Affairs, Ministry of Defence, and such other Ministries and Organisations, including domain experts, that it may decide to include in the Committee:

Provided that the Authorised Officer designated under sub-rule (2) of rule 13 shall be the Chairperson of such Committee.

(2) The Committee shall meet periodically and hear the following complaints regarding violation or contravention of the Code of Ethics by the entities referred to in Rule 8–

(a) arising out of the grievances in respect of the decisions taken at the Level I or II, including the cases where no such decision is taken within the time specified in the grievance redressal mechanism; or

(b) referred to it by the Ministry.

(3) Any complaint referred to the Committee, whether arising out of the grievances or referred to it by the Ministry, shall be in writing and may be sent either by mail or fax or by e-mail signed with electronic signature of the authorised representative of the entity referring the grievance, and the Committee shall ensure that such reference is assigned a number which is recorded along with the date and time of its receipt.

(4) The Ministry shall make all reasonable efforts to identify the entity referred to in Rule 8 which has created, published or hosted the content or part thereof, and where it is able to identify such entity, it shall issue a duly signed notice to such entity to appear and submit their reply and clarifications, if any, before the Committee.

रूप में ऐसे व्यक्ति को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, मंत्रालय का एक अधिकारी नियुक्त करेगा।

अंतर–विभागीय समिति–

(1) मंत्रालय, एक अंतर–विभागीय समिति गठित करेगा जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और ऐसे अन्य मंत्रालय और संगठन जिसमें ऐसे डोमेन विशेषज्ञ सम्मिलित हैं जिसे समिति में सम्मिलित करने का विनिश्चय किया जा सके, के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी हुई समिति कही जायेगीः

परंतु नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन अभिहित प्राधिकृत अधिकारी ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) समिति, आवधि रूप से बैठक करेगी और नियम 8 में निर्दिष्ट इकाइयों द्वारा आचार संहिता के अतिक्रमण और उल्लंघन से संबंधित निम्नलिखित शिकायतें भी सुनेंगी–

(क) स्तर 1 या स्तर 2 पर लिए गये विनिश्चयों के संबंध में उद्भूत शिकायतें, जिसमें ऐसे मामले सम्मिलित हैं, जहां शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे विनिश्चय नहीं लिए गये हैं, या

(ख) जिसे मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(3) समिति को निर्दिष्ट ऐसी कोई शिकायत, चाहे वह शिकायतों से उद्भूत हो या मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट हो, लिखित में होगी और शिकायत को निर्दिष्ट करते हुए इकाई के प्राधिकृत प्रतिनिधि के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के साथ मेल या फैक्स द्वारा या ई–मेल द्वारा भेजा जा सकेगा और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे निर्देश में कोई संख्या समनुदेशित की जायेगी, जो इसकी प्राप्ति की तारीख और समय के साथ अभिलिखित की गयी हो।

(4) मंत्रालय, नियाम 8 में निर्दिष्ट इकाई की पहचान के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगी जो अंतर्वस्तु या उसके भाग का सृजन, प्रकाशित या होस्ट किया गया है और जहां ऐसी इकाई की पहचान योग्य हो जाती है, तो वह समिति के समक्ष उसका उत्तर या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने और प्रकट करने के लिए ऐसी इकाई को सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सूचना जारी करेगा।

(5) In the hearing, the Committee shall examine complaints or grievances, and may either accept or allow such complaint or grievance, and make the following recommendations to the Ministry, namely:—

(a) warning, censuring, admonishing or reprimanding such entity; or

(b) requiring an apology by such entity; or

(c) requiring such entity to include a warning card or a disclaimer; or

(d) in case of online curated content, direct a publisher to—

(i) reclassify ratings of relevant content; or

(ii) edit synopsis of relevant content; or

(iii) make appropriate modification in the content descriptor, age classification and parental or access control;

(e) delete or modify content for preventing incitement to the commission of a cognisable offence relating to public order;

(f) in case of content where the Committee is satisfied that there is a need for taking action in relation to the reasons enumerated in sub-section (1) of section 69A of the Act, it may recommend such action.

(6) The Ministry may, after taking into consideration the recommendations of the Committee, issue appropriate orders and directions for compliance by the publisher:
Provided that no such order shall be issued without the approval of the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India (hereinafter referred to as the "Secretary, Ministry of Information and Broadcasting").

PROCEDURE FOR ISSUING OF DIRECTION

(1) In respect of recommendations referred to in clauses (e) and (f) of sub-rule (5) of rule 14, the Authorised Officer shall place the matter for consideration before the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting for taking appropriate decision.

(2) The Authorised Officer shall, on approval of the decision by the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, direct the publisher, any agency of the Government or any intermediary, as the case may be to delete or modify or block the relevant content and information generated, transmitted, received, stored or

(5) सुनवाई में, समिति परिवाद और शिकायतों की परीक्षा करेगी और ऐसे परिवाद या शिकायत को या तो स्वीकार करेगी या अनुज्ञात करेगी और मंत्रालय को निम्नलिखित सिफारिशें दे सकेगी, अर्थात् ः-

(क) ऐसी इकाई को चेतावनी, परिनिंदा, भर्त्सना या फटकारना या

(ख) ऐसी इकाई द्वारा क्षमा की अपेक्षा, या

(ग) ऐसी इकाई से चेतावनी कार्ड या दावा त्याग को सम्मिलित करने की अपेक्षा, या

(घ) यदि आनलाइन संगृहित अंतर्वस्तु किसी प्रसारक को –

(i) सुसंगत अंतर्वस्तु की रेटिंग को वर्गीकृत करने या

(ii) सुसंगत अंतर्वस्तु की रूपरेखा को संपादित करने या

(iii) अंतर्वस्तु निरूपक, आयु वर्गीकरण और पैतृक या पहुंच नियंत्रण में समुचित उपांतरण करने का निदेश देती है,

(ङ) लोक व्यवस्था से संबंधित संज्ञेय अपराध कारित किये जाने के उत्प्रेरण को रोकने के लिए अंतर्वस्तु का लोप या उपांतरण,

(च) ऐसी अंतर्वस्तु की दशा में, जहां समिति का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा 69क की उपधारा (1) में संख्याकित कारणों के संबंध में कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है, वह ऐसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगी।

(6) मंत्रालय, समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, प्रकाशक द्वारा अनुपालन के लिए समुचित आदेश और निदेश जारी कर सकेगाः
परंतु ऐसा कोई आदेश, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय' कहा गया है) के अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जायेगा।

निदेश जारी करने के लिए प्रक्रिया –

(1) नियम 14 के उपनियम (5) के खंड (ङ) और खंड (च) में निर्दिष्ट सिफारिशों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी, मामले को समुचित विनिश्चय के लिए सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समक्ष विचार के लिए रखेगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा विनिश्चय के अनुमोदन पर प्रकाशक को, यथास्थिति, सरकार के किसी अभिकरण या मध्यवर्ती को सुसंगत अंतर्वस्तु और लोक पहुंच के लिए उनके कंप्यूटर स्रोत में जनित, पारेषित, प्राप्त,

hosted in their computer resource for public access within the time limit specified in the direction:

Provided that in case the recommendation of the Authorised Officer is not approved by the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, the Authorised Officer shall convey the same to the Committee.

(3) A direction under this rule may be issued only in respect of a specific piece of content or an enumerated list of content, as the case may be, and shall not require any entity to cease its operations.

BLOCKING OF INFORMATION IN CASE OF EMERGENCY

(1) Notwithstanding anything contained in rules 14 and 15, the Authorised Officer, in any case of emergency nature, for which no delay is acceptable, shall examine the relevant content and consider whether it is within the grounds referred to in sub-section (1) of section 69A of the Act and it is necessary or expedient and justifiable to block such information or part thereof and submit a specific recommendation in writing to the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.

(2) In case of emergency nature, the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting may, if he is satisfied that it is necessary or expedient and justifiable for blocking for public access of any information or part thereof through any computer resource and after recording reasons in writing, as an interim measure issue such directions as he may consider necessary to such identified or identifiable persons, publishers or intermediary in control of such computer resource hosting such information or part thereof without giving him an opportunity of hearing.

(3) The Authorised Officer, at the earliest but not later than forty-eight hours of issue of direction under sub-rule (2), shall bring the request before the Committee for its consideration and recommendation.

(4) On receipt of recommendations of the Committee under sub-rule (3), the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, shall pass the final order as regard to approval of such request and in case the request for blocking is not approved by the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting in his final order, the interim direction issued under sub-rule (2) shall be revoked and the person, publisher

भंडारित या पोषित सूचना को निदेश में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हटाने या उपांतरित करने या ब्लाक करने का निदेश देगाः

परंतु यदि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिशों का अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी समिति को सूचित करेगा।

(3) इस नियम के अधीन निदेश केवल, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट अंतर्वस्तु की संख्यांकित सूची के बारे में जारी किया जायेगा और किसी इकाई से उसके प्रचालन को समाप्त करने की अपेक्षा नहीं करेगा।

आपात की दशा में सूचना को रोकना –

(1) नियम 14 और नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी, आपात की दशा में जिसके लिए कोई विलंब स्वीकार्य नहीं है, सुसंगत अंतर्वस्तु की परीक्षा करेगा और विचार करेगा कि क्या यह अधिनियम की धारा 69क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आधारों के अधीन आता है और ऐसी सूचना या उसके किसी भाग को रोकना आवश्यक या समीचीन और न्यायोचित है तथा सचिव, सूचना व प्रसारण मंत्रालय को लिखित में विनिर्दिष्ट सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

(2) आपात की दशा में, यदि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी कंप्यूटर स्रोत के माध्यम से सूचना या उसके किसी भाग तक लोक पहुंच को अवरूद्ध करना आवश्यक या समीचीन और न्यायोचित है तो वह कारण अभिलिखित करते हुए, अंतरिम उपाय के रूप में ऐसी सूचना या उसके किसी भाग को पोषित करने वाले किसी कंप्यूटर संसाधन पर नियंत्रण रखने वाले पहचान किये गये या पहचान योग्य व्यक्तियों, प्रकाशकों या मध्यवर्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(3) प्राधिकृत अधिकारी यथाशीघ्र, लेकिन उपनियम (2) के अधीन निदेश जारी किये जाने से अड़तालीस घंटों से अनधिक समय के भीतर समिति के समक्ष विचार और सिफारिश के लिए अनुरोध करेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऐसे अनुरोध के अनुमोदन के संबंध में अंतिम आदेश पारित करेगा और यदि ऐसे अवरूद्ध किये जाने के अनुरोध का अनुमोदन सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है तो उपनियम (2) के अधीन जारी अंतरिम निदेश प्रतिसंहृत किया जायेगा और तदनुसार ऐसी

or intermediary in control of such information shall be accordingly, directed to unblock the information for public access.

REVIEW OF DIRECTIONS ISSUED

(1) The Authorised Officer shall maintain complete records of the proceedings of the Committee, including any complaints referred to the Committee, and shall also maintain records of recommendations made by the Committee and any directions issued by the Authorised Officer.

(2) The Review Committee shall meet at least once in every two months and record its findings whether the directions of blocking of content or information issued under these rules are in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 69A of the Act and if it is of the opinion that the directions are not in accordance with the said provisions, it may set aside the directions and issue order for unblocking of such content or information generated, transmitted, received, stored or hosted in a computer resource.

Explanation: For the purpose of this rule, "*Review Committee*" shall mean the Review Committee constituted under rule 419A of the Indian Telegraph Rules, 1951.

FURNISHING OF INFORMATION

(1) A publisher of news and current affairs content and a publisher of online curated content operating in the territory of India, shall inform the Ministry about the details of its entity by furnishing information along with such documents as may be specified, for the purpose of enabling communication and coordination.

(2) The information referred to in sub-rule (1) shall be furnished within a period of thirty days of the publication of these rules, and where such publisher begins operation in the territory of India or comes into existence after commencement of these rules, within thirty days from the date of start of its operations in the territory of India or its coming into existence, as the case may be.

(3) The publisher of news and current affairs content and the publisher of online curated content shall publish periodic compliance report every month mentioning the details of grievances received and action taken thereon.

सूचना पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे व्यक्ति, प्रकाशक और मध्यवर्ती को लोक पहुंच के लिए सूचना पर से अवरोध हटाने का निदेश देगा।

जारी किये गये निदेशों का पुनर्विलोकन –

(1) प्राधिकृत अधिकारी समिति की कार्यवाहियों जिसके अंतर्गत समिति को निर्दिष्ट शिकायते भी हैं, के पूर्ण अभिलेख अनुरक्षित करेगा और समिति द्वारा की गयी सिफारिशों और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये किन्हीं निदेशों का अभिलेख भी अनुरक्षित करेगा।

(2) पुनर्विलोकन समिति प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और उसके निष्कर्षो को अभिलिखित करेगी कि इन नियमों के अधीन अंतर्वस्तु या सूचना को अवरूद्ध करने के लिए जारी किये निदेश अधिनियम की धारा 69क की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार है और यदि उसकी यह राय है कि निदेश उक्त उपबंधों के अनुसरण में नहीं है, वह ऐसे अंतर्वस्तु और कंप्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या पोषित सूचना को अवरूद्ध करने के लिए निदेशों और जारी किये गये आदेशों को अपास्त कर सकेगी।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन के लिए 'पुनर्विलोकन समिति' से भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 419क के अधीन गठित समीक्षा समिति अभिप्रेत है।

सूचना का प्रस्तुत किया जाना

(1) समाचार और समसामयिकी अंतर्वस्तु का प्रकाशक और भारत राज्यक्षेत्र में संचालित ऑनलाइन संग्रहित अंतर्वस्तु का प्रकाशक मंत्रालय को ऐसे दस्तावेजों के साथ सूचना प्रस्तुत करके पर उसकी इकाई के ब्यौरों के बारे में जो उसमें संसूचना और समन्वयन को समर्थ बनाने के लिए विनिर्दिष्ट किये जाएं, सूचना देते हुए सूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना इन नियमों के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेगी और जहां ऐसा प्रकाशक इन नियमों के आरंभ के पश्चात् भारत राज्यक्षेत्र में प्रचालन का आरंभ करता है या अस्तित्व में आता है, यथास्थिति उसके भारत राज्यक्षेत्र में प्रचालन आरंभ करने या उसके अस्तित्व में आने की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(3) समाचार और समसामयिक अंतर्वस्तु का प्रकाशक, प्राप्त की गयी शिकायतों के ब्यौरे और उस पर की गयी कार्यवाही की निगरानी की प्रत्येक माह की आवधिक अनुपालन रिपोर्ट को प्रकाशित करेगा।

(4) The Ministry may call for such additional information from the publisher as it may consider necessary for the implementation of this Rule.

MISCELLANEOUS

DISCLOSURE OF INFORMATION

(1) A publisher and a self-regulating body, shall make true and full disclosure of all grievances received by it, the manner in which the grievances are disposed of, the action taken on the grievance, the reply sent to the complainant, the orders or directions received by it under these rules and action taken on such orders or directions.

(2) The information referred to in sub-rule (1) shall be displayed publicly and updated monthly.

(3) Subject to any law for the time being in force, the publisher shall preserve records of content transmitted by it for a minimum period of sixty days and make it available to the self-regulating body or the Central Government, or any other Government agency, as may be requisitioned by them for implementation of these rules.

CODE OF ETHICS

NEWS AND CURRENT AFFAIRS:

(i) Norms of Journalistic Conduct of the Press Council of India under the Press Council Act, 1978;

(ii) Programme Code under section 5 of the Cable Television Networks Regulation) Act, 1995;

(iii) Content which is prohibited under any law for the time being in force shall not be published or transmitted.

ONLINE CURATED CONTENT:

(A) General Principles:

(a) A publisher shall not transmit or publish or exhibit any content which is prohibited under any law for the time being in force or has been prohibited by any court of competent jurisdiction.

(b) A publisher shall take into consideration the following factors, when deciding to feature or transmit or publish or exhibit any content, after duly considering the implications of any content as falling under the following categories, and shall

(4) मंत्रालय का प्रकाशक से ऐसे अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा जो वह इस भाग के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

प्रकीर्ण

सूचना का प्रकटन–

(1) कोई प्रकाशक या स्वतः विनियामक निकाय, उसके द्वारा प्राप्त की गयी सभी शिकायतों का उस रीति का जिसमें ऐसी शिकायतों का निपटान किया गया है, शिकायत पर की गयी कार्रवाई का, शिकायतकर्ता को दिये गये प्रत्युत्तर का, इन नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये आदेशों या निर्देशों का और ऐसे आदेशों या निदेशों पर की गयी कार्रवाई का सही और पूर्ण प्रकटन करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जायेगा और उसको प्रत्येक अद्यतन किया जायेगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए, प्रकाशक उसके द्वारा पारेषित अंतर्वस्तु के अभिलेख कम से कम साठ दिन की अवधि के लिए परिरक्षित करेगा और उसे नियमों के क्रिान्वयन के लिए स्वतः विनियामक निकाय या केंद्रीय सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी अभिकरण को जब भी उनके द्वारा अध्यपेक्षित हो, उपलब्ध करायेगा।

आचार संहिता

समाचार और करंट अफेयर्स

(i) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अधीन भारतीय प्रेस परिषद् के पत्रकारिता संचालन के सन्नियम

(ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 के अधीन कार्यक्रम संहिता

(iii) ऐसी अंतर्वस्तु, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिसिद्ध है, का प्रकाशन या पारेषण नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तुः

(अ) सामान्य सिद्धांतः

(क) कोई प्रकाशक किसी अंतर्वस्तु का पारेषण या प्रकाशन या प्रदर्शन नहीं करेगा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है या किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है।

(ख) कोई प्रकाशक निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन आने वाली अंतर्वस्तु की विवक्षाओं पर सम्यकतः विचार करने के पश्चात् किसी अंतर्वस्तु के चित्रण या पारेषण या प्रकाशन या प्रदर्शन करने का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारकों पर

exercise due caution and discretion in relation to the same, namely:—

(i) content which affects the sovereignty and integrity of India;

(ii) content which threatens, endangers or jeopardises the security of the State;

(iii) content which is detrimental to India‘s friendly relations with foreign countries;

(iv) content which is likely to incite violence or disturb the maintenance of public order.

(c) A publisher shall take into consideration India‘s multi-racial and multi-religious context and exercise due caution and discretion when featuring the activities, beliefs, practices, or views of any racial or religious group.

(B) Content Classification:

(i) All content transmitted or published or exhibited by a publisher of online curated content shall be classified, based on the nature and type of content, into the following rating categories, namely:—

(a) Online curated content which is suitable for children as well as people of all ages shall be classified as "U" rating;

(b) Online curated content which is suitable for persons aged 7 years and above, and can be viewed by a person under the age of 7 years with parental guidance, shall be classified as "U/A 7+" rating;

(c) Online curated content which is suitable for persons aged 13 years and above, and can be viewed by a person under the age of 13 years with parental guidance, shall be classified as "U/A 13+" rating;

(d) Online curated content which is suitable for persons aged 16 years and above, and can be viewed by a person under the age of 16 years with parental guidance, shall be classified as "U/A 16+" rating; and

(e) Online curated content which is restricted to adults shall be classified as “A” rating.

(ii) The Content may be classified on the basis of.—i) Themes and messages; ii) Violence; iii)

विचार करेगा और उनके संबंध में सम्यकतः सावधानी और स्वःविवेक का प्रयोग करेगा, अर्थातः

(i) ऐसी अंतर्वस्तु जो भारत की संप्रभुत्ता और अखंडता को प्रभावित करती है

(ii) ऐसी अंतर्वस्तु जो राज्य की सुरक्षा को चुनौती देती है, खतरे में डालती है या जोखिम में डालती है

(iii) ऐसी अंतर्वस्तु जो भारत के दूसरे देशों के साथ मित्रता के संबंधों के लिए हानिकर है।

(iv) ऐसी अंतर्वस्तु जिसमें हिंसा भड़काने या लोक व्यवस्था को बनाये रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।

(ग) प्रकाशक किन्हीं कार्यकलापों, विश्वासों, पद्धतियों या किन्हीं जातिय या धार्मिक समूह के विचारों का चित्रण करते हुए भारत के बहु जातिय और बहु धार्मिक परिप्रेक्ष्य को विचार में लेगा और सम्यक सावधानी रखेगा।

(आ) अंतर्वस्तु वर्गीकरणः

(i) किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के प्रकाशक द्वारा पारेषित या प्रकाशित या प्रदर्शित सभी अंतर्वस्तु का निम्नलिखित रेटिंग प्रवर्गो में अंतर्वस्तु की कोटि और प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जायेगा, अर्थातः–

(क) ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु जो बालकों के साथ सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, को 'यू' के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(ख) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु जो 7 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको 7 वर्ष से कम आयय के व्यक्ति द्वारा माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन देखा जा सकता है, को 'यू/ए 7 प्लस' रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(ग) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु जो 13 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको 13 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता–पिता के मार्गदशङन के अधीन देखा जा सकता है, को 'यू/ए 13 प्लस' रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(घ) ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु जो 16 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता–पिता के मार्गदर्शन के अधीन देखा जा सकता है, को 'यू/ए 16प्लस' रेटिंग के रूप में वगीकृत किया जायेगा, और

(ङ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु जो केवल व्यस्कों तक निर्बंधित है को 'ए' रेटिंग के रूप में वगीकृत किया जायेगा।

(ii) अंतर्वस्तु को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय–समय

Nudity; iv) Sex; v) Language; vi) Drug and substance abuse; and (vii) Horror as described in the Schedule, as may be modified from time to time by the Ministry of Information & Broadcasting.

(C) Display of Classification:

(a) The publisher of online curated content shall prominently display the classification rating specific to each content or programme together with a content descriptor informing the user about the nature of the content, and advising on viewer discretion (if applicable) at the beginning of every programme enabling the user to make an informed decision, prior to watching the programme.

(b) The publisher of online curated content making available content that is classified as U/A 13+ or higher shall ensure that access control mechanisms, including parental locks, are made available for such content.

(c) A publisher of online curated content which makes available content or programme that is classified as "A" shall implement a reliable age verification mechanism for viewership of such content.

(d) A publisher of online curated content must strive to include classification rating and consumer advice for their programmes in any print, televised or online promotional or publicity material and prominently display the classification rating specific to each such content.

(D) Restriction of access to certain curated content by a child:

Every publisher of online curated content providing access to online curated content which has an "A" rating shall take all efforts to restrict access to such content by a child through the implementation of appropriate access control measures.

(E) Measures to improve accessibility of online curated content by persons with disabilities:

Every publisher of online curated content shall, to the extent feasible, take reasonable efforts to improve the accessibility of online curated content transmitted by it to persons with disabilities through the implementation of appropriate access services.

पर यथाउपांतरित अनुसूची में यथावर्णितः (1) थीम और संदेश, (2) हिंसा (3) नग्नता (4) सेक्स (5) भाषा (6) ड्रग्स और पदार्थों का दुरूपयोग और (7) भयोत्पादक, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकेगा।

(इ) वर्गीकरण का प्रदर्शन ः

(क) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक प्रमुख रूप से प्रत्येक अंतर्वस्तु या कार्यक्रम की विशिष्ट वर्गीकरण रेटिंग अंतर्वस्तु विवरणकर्ता के साथ उपयोक्ता को अंतर्वस्तु की प्रकृति के विषय में सूचित करते हुए प्रदर्शित करेगा और दर्शक को प्रत्येक कार्यक्रम के प्रारंभ में (यदि लागू हो) दर्शक विवरण का परामर्श देगा, जिससे उपयोक्ता कार्यक्रम को देखने से पूर्व एक संसूचित विनिश्चय करने में समर्थ हो सके।

(ख) किसी ऐसी अंतर्वस्तु को जिसे यू/ए 13 प्लस या उच्चतर ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक के रूपों में वर्गीकृत किया गया है, को उपलब्ध कराने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि पेरेंटल लॉक सहित पहुंच नियंत्रण तंत्र ऐसी अंतर्वस्तु के लिए उपलब्ध हो।

(ग) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक, जो ऐसी अंतर्वस्तु या कार्यक्रम को उपलब्ध कराता है, जिसे 'ए' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऐसी अंतर्वस्तु को देखे जाने के लिए विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र का कार्यान्वियन करेगा।

(घ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के प्रकाशक को किसी प्रिंट टेलीवाइज्ड या ऑनलाइन संवर्धन या प्रचार सामग्री में अपने कार्यक्रमों के लिए वर्गीकरण रेटिंग और उपभोक्ता सलाह को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी प्रत्येक अंतर्वस्तु के प्रति विनिर्दिष्ट रेटिंग को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(ई) किसी बालक द्वारा कतिपाय क्यूरेटेड अंर्वस्तु तक पहुंच का प्रतिबंधः

ऐसी ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतवस्तु जिसमें 'ए' रेटिंग दी गयी है, तक पहुंच प्रदान करने वाला प्रत्येक प्रकाशक, समुचित पहुंच नियंत्रण उपायों के कार्यान्वियन के माध्यम से किसी बालक द्वारा ऐसी अंतर्वस्तु तक पहुंच को निर्वंधित करने के साभी प्रयास करेगा।

(उ) दिव्यांगजन द्वारा आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक पहुंच में सुधार करने के लिए उपायः

आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रत्येक ऐसा प्रकाशक, साध्य सीमा तक, समुचित पहुंच सेवाओं के कार्यान्वियन के माध्यम से उसके द्वारा पारेषित आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक दिव्यांगजन की पहुंच में सुधार करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा।

SCHEDULE

Classification of any curated content shall be guided by the following sets of guidelines, namely:—

GENERAL GUIDELINES FOR CLASSIFICATION OF FILMS AND OTHER ENTERTAINMENT PROGRAMMES, INCLUDING WEB BASED SERIALS

There are general factors that may influence a classification decision at any level and in connection with any issue and the following factors are elucidated which may be read along with Part II of the Guidelines -

(a) Context:

Curated content may be considered in the light of the period depicted in such content and the contemporary standards of the country and the people to which such content relates. Therefore, the context in which an issue is presented within a film or video may be given consideration. Factors such as the setting of a work (historical, fantasy, realistic, contemporary etc.), the manner of presentation of the content, the apparent intention of the content, the original production date of the content, and any special merits of the work may influence the classification decision.

(b) Theme:

Classification decisions may take into the theme of any content but will depend significantly on the treatment of that theme, especially the sensitivity of its presentation. The most challenging themes (for example, drug misuse, violence, pedophilia, sex, racial or communal hatred or violence etc.) are unlikely to be appropriate at the junior levels of classification.

अनुसूची

किसी क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के वर्गीकरण का मार्गदर्शक सिद्धांतों के निम्नलिखित सेटों द्वारा मार्गदर्शन किया जायेगा, अर्थातः

फिल्मों के वर्गीकरण और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों, जिनके अंतर्गत वेब आधारित धारावाहिक भी है, के लिए साधारण मार्गदर्शक सिद्धांत

ऐसे साधारण कारक हैं, जो किसी भी स्तर पर और किसी विषय के संबंध में वर्गीरण को प्रभावित कर सकते हैं, निम्नलिखित कारकों की व्याख्या की गयी है, जिन्हें मार्गदर्शक सिद्धांतों के भाग 2 के साथ पढ़ा जाएः–

(क) संदर्भः

क्यूरेटेड अंतर्वस्तु पर ऐसी अंतर्वस्तु में वर्णित अवधि और देश के समकालीन मानकों और ऐसे लोगों, जिनमें ऐसी अंतर्वस्तु संबंधित है, को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकेगा। अतः वह संदर्भ जिसमें किसी विषय को किसी फिल्म या वीडियो के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, पर विचार किया जायेगा। कृति की सेटिंग (ऐतिहासिक, स्वैर कल्पना, वास्तविक, समकालीन आदि) अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने की रीति, अंतर्वस्तु का स्पष्ट आशय, अंतर्वस्तु की मूल प्रस्तुति की तारीख जैसे कारक और कृति के कोई विशेष गुण वर्गीकरण विनिश्चिय को प्रभावित कर सकते हैं।

(ख) थीमः

वर्गीकरण विनिश्चयों में किसी अंतर्वस्तु की थीम पर विचार किया जा सकेगा, किंतु यह मुख्यतः उस थीम की व्याख्या, विशेष रूप से उसकी प्रस्तुति की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा। अति चुनौतीपूर्ण थीम (उदाहरणार्थ, ड्रग दुरूपयोग, हिंसा, पेडोफिलिया, लिंग, जातियां या साम्प्रदायिक घृणा या हिंसा आदि) वर्गीकरण के कनिष्ठ स्तरों पर उचित नहीं हो सकते।

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

- In-depth & Unbiased Market Information
- Technology Breakthroughs
- Comprehensive Circulation Across The Satellite & Cable TV Industry

SATELLITE & Cable TV

... You Know What You Are Doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: scat.sales@nm-india.com

(c) Tone and impact:

Curated content may be judged in its entirety from the point of view of its overall impact. The tone of content can be an important factor in deciding the influence it may have on various groups of people. Thus, films/serials that have a stronger depiction of violence may receive a higher classification.

(d) Target audience:

The classification of any content may also depend upon the target audience of the work and the impact of the work on such audience.

ISSUE RELATED GUIDELINES

This part of the guidelines comprises the issues and concerns that apply in varying degrees to all categories of classification and elaborates the general approach that may be taken in this regard to the same. These concerns are listed in alphabetical order, and are to be read with the four General Guidelines listed above:

(a) Discrimination:

The categorical classification of content shall take into account the impact of a film on matters such as caste, race, gender, religion, disability or sexuality that may arise in a wide range of works, and the classification decision will take account of the strength or impact of their inclusion.

(b) Psychotropic substances, liquor, smoking and tobacco:

Films or serials, etc. that as a whole portray misuse of psychotropic substances, liquor, smoking and tobacco would qualify for a higher category of classification.

(c) Imitable behaviour:

(1) Classification decisions may take into account any portrayal of criminal and violent behaviour with weapons.

(2) Portrayal of potentially dangerous behaviour that are likely to incite the commission of any offence (including suicide, and infliction of self-harm) and that children and young people may potentially copy, shall receive a higher classification.

(3) Films or serials with song and dance scenes comprising lyrics and gestures that have sexual innuendos would receive a higher classification.

(ग) सुर और प्रभावः

क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का उसके संपूर्ण प्रभाव के दृष्टिकोण से, उसकी समग्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। अंतर्वस्तु का सुर उस प्रभाव का विनिश्चय करने में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, जिसका प्रभाव विभिन्न वर्गो के लोगों पर हो। अतः ऐसी फिल्म/धारावाहिक जिनमें हिंसा का अधिक प्रबल चित्रण किया गया है, को उच्चतर वर्गीकृत किया जा सकेगा।

(घ) लक्षित दर्शकगणः

किसी अंतर्वस्तु का वर्गीकरण कृति के लक्षित दर्शकों पर और ऐसे दर्शकों पर कृति के प्रभाव पर भी निर्भर करता है।

मुद्दों से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों

मार्गदर्शक सिद्धांतों के इस खंड में ऐसे मुद्दे और अंतर्वस्तु सम्मिलित हैं जो वर्गीकरण के सभी प्रवर्गो पर परिवर्ती डिग्रियों में लागू होंगे और साधारण पहुंच को, जो उसके संबंध में ली जा सकती है, विस्तृत करेंगे। अंतर्वस्तु को वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा और उपरोक्त भाग 1 में सूचीबद्ध चार साधारण मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ पढ़ा जायेगा।

(क) विभेदः

अंवर्वस्तु के सुस्पष्ट वर्गीकरण में ऐसे मामलों जैसे कि जाति, मूल वंश, लिंग, धर्म, दिव्यांगता या लैंगिकता जो कृति की वृहद परास से उद्भूत होते हैं पर फिल्म के प्रभाव को और वर्गीकरण विनिश्चय में उनके समावेशन की शक्ति और प्रभाव को हिसाब में लिया जायेगा।

(ख) मनः प्रभावी पदार्थ, शराब, धूम्रपान और तंबाकूः

फिल्म/धारावाहिक, आदि अभिनय के रूप में मनः प्रभावी पदार्थ, शराब, धूम्रपान और तंबाकू का पूर्ण रूप से दुरूपयोग करते हैं वे वर्गीकरण के उच्चतम प्रवर्ग के लिए अर्हक होंगे।

(ग) अनुकरणीय व्यवहारः

(1) वर्गीकरण विनिश्चय में किसी आपराधिक अभिनय और हथियारों के साथ हिंसक व्यवहार को हिसाब में लिया जा सकेगा।

(2) संभवतः खतरनाक व्यवहार का अभिनय, जिससे किसी अपराध (जिसके अंतर्गत आत्महत्या और स्वयं क्षति की पीड़ा भी है) का उत्प्रेरण संभाव्य है और जिसकी बालक और युवा वर्ग संभवतः नकल करेगा, उसे उच्चतर वगीकृत किया जायेगा।

(3) फिल्म/धारावाहिक, जिनमें ऐसे प्रगीत और भाव भंगीमा के साथ गाने और नृत्य हैं, जिनमें लैंगिक व्यंग्य है, को उच्चतर वर्गीकृत किया जायेगा।

(d) Language:

(1) Language is of particular importance, given the vast linguistic diversity of our country. The use of language, dialect, idioms and euphemisms vary from region to region and are culturespecific. This factor has to be taken into account during the process of classification of a work in a particular category.

(2) Language that people may find offensive includes the use of expletives. The extent of offence may vary according to age, gender, race, background, beliefs and expectations of the target audience from the work as well as the context, region and language in which the word, expression or gesture is used.

(3) It is not possible to set out a comprehensive list of words, expressions or gestures that are acceptable at each category in every Indian language. The advice at different classification levels, therefore, provides general guidance to consider while judging the level of classification for content, based on this guideline.

(e) Nudity:

(1) No content that is prohibited by law at the time being in force can be published or transmitted.

(2) Nudity with a sexual context will receive a higher classification of “A”.

(f) Sex:

No content that is prohibited by law at the time being in force can be published or transmitted. The classification of content in various ratings from U/A 16+ to “A” shall depend upon the portrayal of non-explicit (implicit) to explicit depiction of sexual behaviour.

(g) Violence:

Classification decisions shall take account of the degree and nature of violence in a work. ■

(घ) भाषाः

(1) हमारे देश में निहित भाषायी अनेकता में भाषा को विशेष महत्व दिया जाता है। भाषा, बोली, मुहावरा और प्रियोक्ती, क्षेत्रवार और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर भिन्न–भिन्न होती है। इस कारक को विशिष्ट प्रवर्ग में कृति के वर्गीकरण की प्रक्रिया के दौरान हिसाब में लिया जाना चाहिए।

(2) भाषा, जिसे लोग घृणास्पद पाये, में अपशब्दों का प्रयोग सम्मिलित है। अपराध का विस्तार, आयु, लिंग, मूलवंश, पृष्ठभूमि, विश्वास के अनुसार और लक्षित दर्शकों की कृति से अपेक्षाओं के साथ–साथ वह संदर्भ, धर्म और भाषा, जिसमें शब्द, पद और भाव भंगीमा प्रयुक्त की जाती है, के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकेगा।

(3) शब्दों, पदों, भाव भंगीमाओं जो प्रत्येक भारतीय भाषा के प्रत्येक प्रवर्ग में स्वीकार्य है की व्यापक सूची तैयार करना संभव नहीं है। इसलिए विभिन्न वर्गीकरण स्तरों पर सलाह इस मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित अंतर्वस्तु के लिए वर्गीकरण के स्तर का निर्णय करते समय साधारण मार्गदर्शन का उपबंध करती है।

(ङ) नग्नताः

(1) ऐसी कोई अंतर्वस्तु, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, प्रकाशित/पारेषित नहीं की जा सकेगी।

(2) लैंगिक संदर्भ के साथ नग्नता को ए के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(च) सेक्सः

ऐसी कोई अंतर्वस्तु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है, प्रकाशित/पारेषित नहीं की जा सकेगी। अंतर्वस्तु को यू/ए 16 प्लस से ‘ए’ विभिन्न रेटिंग में वर्गीकृत किया जायेगा, जो कामुक व्यवहार के अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष चित्रण के अभिनय पर निर्भर करेगा।

(छ) हिंसाः

वर्गीकरण विनिश्चय में कृति में हिंसा की डिग्री और प्रकृति को हिसाब में लिया जायेगा। ■

INDIA’S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

SATELLITE & Cable TV
MAGAZINE

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact:
Mob.: +91-7021850198
Tel.: +91-22-6216 5313
Email: scat.sales@nm-india.com